उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 180 / 2023–24 दिनांक : 27.10.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सहदेव सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, परिवादी
ग्राम ऐचंता, नानकमत्ता, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री सहदेव सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह की यह शिकायत दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2T570163476 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। बिल अधिक आने के कारण बिल की धनराशि रू0 27278.00 हो गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 27278.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि दिनांक 18.09.2015 से 20.10.2023 तक मीटर में अंकित हुई कुल खपत 2348 को प्रो–रेटा आधार पर माहवार बराबर बांटते हुए तत्कालीन प्रचलित टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित कर रू0 5411.10 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ संशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार परिवादी की

क्रमशः 2.....

समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

27/11/2023 | 27/11/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य